रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122025-268124
CG-DL-E-01122025-268124

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 794] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025/अग्रहायण 10, 1947
No. 794] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/AGRAHAYANA 10, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 880(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में आगे और संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का नाम कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में, नियम 2 के उप-नियम (1) में, खंड (न) के लिए निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(न) अधिनियम की धारा 2 के खंड (85) के उपखंड (i) और (ii) के प्रयोजन के लिए, लघु कंपनी की समादत्त पूंजी और आवर्त क्रमश: दस करोड़ रुपये और एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।"।

[फा. सं. नीति-01/5/2022-सीएल-V-एमसीए]

बालामुरूगन डीडी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में, दिनांक 31 मार्च, 2014, के संख्यांक सा.का.नि. 238(अ), द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 15 सितंबर, 2022, को संख्यांक सा..का.नि. 700(अ), द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2025

G.S.R. 880(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Specification of definition details) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Companies (Specification of definition details) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Specification of definition details) Rules, 2014, in rule 2, in sub-rule (1), for clause (t), the following clause shall be substituted, namely:-

"(t) For the purposes of sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (85) of section 2 of the Act, paid up capital and turnover of the small company shall not exceed rupees ten crores and rupees one hundred crores respectively.".

[F. No. Policy-01/5/2022-CL-V-MCA]

BAIAMURUGAN.D, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (1), vide number G.S.R. 238(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended, vide number 700(E), dated the 15th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA